संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,

ई–5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 3394/वि.यो.496/ नग्रानि/2019 भोपाल, दिनांक 1/9/2020

नीमच विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीमच विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. **अध्याय–4**

4.5 – आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टे.

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : –

अध्याय–4

4.5 – आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. विलोपित

2. **अध्याय–4**

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :–

नीमच : उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4–सा–8

अनु. क्रं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ. ए. आर.	उंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
60	भूखण्डीय विकास	2.00	7.50	30–60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज= ले–आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=15 प्रतिशत

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : –

अध्याय–4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों / परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :–

नीमच – उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4–सा–8

अनु. क्रं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू–तल अधिकतम कव्हरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	उंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईडस्		
60	भूखण्डीय विकास	कोई नही	7.50	30–60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज= ले–आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र= 1.5 प्रतिशत

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल